FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
दरगाह बटाउ पीर वाके मौजा अमरपुरा तहसील नागौर जरिये सदर मच्छुखां पुत्र नबुखां जाति कायमखानी निवासी डेह रोड अमरपुरा तहसील व जिला नागौर, राज0		1. श्रीमती माधुरी पत्नी मनोज जाति जाट निवासी सोमणा तहसील डेह जिला नागौर, राज0 वगैरह

किस्म मुकदमा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र **संख्या** 18 **सन्** 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25.07.2023	वकील प्रार्थी ने यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 100/2009 राजस्व विविध प्रकरण संख्या89/2009 बअनवान दरगाह बटाउ पीर अमरपुरा बनाम श्रीमती माधुरी वगैरह की पत्रावली अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर को प्रार्थना पत्र की प्रति प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं के संबंध में पैरावाईज टिप्पणी तलब हो। अप्रार्थी संख्या–2 जरिये नोटिस रजिस्टर्ड एडी डाक से तथा बकाया अप्रार्थीगण जरिये नोटिस साधारण डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 23.08.2023 को पेश हो। Sd/- **जिला कलक्टर,** **नागौर**	
23/08/2023	वकील प्रार्थी उप० और सायल सं० 5 सं० 10 की ओर से वकालतनामा वकील श्री राजेन्द्रसिंह ने पेश किया और व S.D.O. नागौर से प्राप्त टिप्पणी शा०मि० किये गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, नागौर के न्यायालय में पत्रावली स्थानान्तरण/मुंतकिल से सम्बन्धित था। उपखण्ड अधिकारी, नागौर श्री सुनील पंवार का स्थानान्तरण हो चुका है इसलिए इस पत्रावली में अब कोई अपेक्षित नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Sd/- कलक्टर नागौर	